प्रेस नोट 27/04/2026

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 27.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 278 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

बहला-फुसलाकर यौन संबंध बनाने वाला 01अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 27.04.2026 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचान पर कुसमौर्य मोड़ के पास से मु0अ0स0 151/26 धारा 69 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त चन्दराम उर्फ सोनू राम निवासी गॅाई मरदहा गाजीपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 151/26 धारा 69 बीएनएस।

अभियुक्त का विवरण-

1. चन्दराम उर्फ सोनू राम निवासी गॅाई मरदहा जनपद गाजीपुर।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 05-05 वर्ष की कारावास की सजा व ₹20000 अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 27-04-2026 को मु0अ0सं0 203/2018 धारा 308,347,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण फिरोज अहमद पुत्र अब्दुल अली, अबू ओजैफा पुत्र फिरोज अहमद निवासीगण मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए

05-05 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना कोतवाली नगर का सराहनीय योगदान रहा।